## Section 29: Cancellation <sup>1</sup>[or suspension] of registration

- (1) The proper officer may, either on his own motion or on an application filed by the registered person or by his legal heirs, in case of death of such person, cancel the registration, in such manner and within such period as may be prescribed, having regard to the circumstances where,—
  - (a) the business has been discontinued, transferred fully for any reason including death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of; or
  - (b) there is any change in the constitution of the business; or
  - <sup>2</sup>[(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:]
  - <sup>3</sup>[Provided that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed.]
- (2) The proper officer may cancel the registration of a person from such date, including any retrospective date, as he may deem fit, where,—
  - (a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or
  - (b) a person paying tax under section 10 has not furnished <sup>4</sup>[the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return]; or
  - (c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for <sup>5</sup>[such continuous tax period as may be prescribed]; or
  - (d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or

Inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

Clause (c) substituted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020. Earlier to substitution it read as under:

<sup>&</sup>quot;(c) the taxable person, other than the person registered under sub-section (3) of section 25, is no longer liable to be registered under section 22 or section 24."

<sup>3</sup> Proviso inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

<sup>4</sup> Substituted for "returns for three consecutive tax periods" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022

<sup>5</sup> Substituted for "a continuous period of six months" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

## Central Goods & Services Tax Act, 2017

**(e)** registration has been obtained by means of fraud, wilful misstatement or suppression of facts:

**Provided** that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

- <sup>6</sup>[Provided further that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration, the proper officer may suspend the registration for such period and in such manner as may be prescribed.]
- (3) The cancellation of registration under this section shall not affect the liability of the person to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.
- (4) The cancellation of registration under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, as the case may be, shall be deemed to be a cancellation of registration under this Act.
- (5) Every registered person whose registration is cancelled shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the date of such cancellation or the output tax payable on such goods, whichever is higher, calculated in such manner as may be prescribed:
  - **Provided** that in case of capital goods or plant and machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage points as may be prescribed or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery under section 15, whichever is higher.
- (6) The amount payable under sub-section (5) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

www.cggst.com

<sup>6</sup> Proviso inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

## धारा 29 : रजिस्ट्रीकरण <sup>1</sup>[या निलंबन] का रद्दकरण

- (1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके विधिक वारिसों द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अविध के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिजस्ट्रीकरण रद्द कर सकेंगा, जहां,—
  - (क) कारबार किन्हीं कारणों से, जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक अस्तित्व के साथ समामेजन, निर्विलयन या अन्यथा व्ययन भी है, बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया गया है; या
  - (ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है; या
  - <sup>2</sup>[(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का आशय रहा हो:]
  - <sup>3</sup>[परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।]
- (2) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख से जिसके अंतर्गत कोई भूतलक्षी तारीख भी है, जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,—
  - (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किए जाएं; या
  - (ख) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ने, <sup>4</sup>[उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी] प्रस्तुत नहीं की है; या
  - (ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति ने <sup>5</sup>[ऐसी लगातार कर अविधयों, जो विहित की जाएं, के लिए] विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
  - (घ) किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है: या
  - (ड.) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के द्वारा प्राप्त किया है :

<sup>1</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>2</sup> वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा खंड (ग) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (ग) इस प्रकार था :

<sup>&</sup>quot;(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रिजस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा।"

<sup>3</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

<sup>4</sup> वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा 'तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18 / 2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

<sup>5</sup> वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा "लगातार छह मास की अवधि के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

भाग—ा

परन्तु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रिजस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

- <sup>6</sup>[परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।]
- (3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर का संदाय करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्यों या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी ऐसी बाध्यता के, जो रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अविध के लिए है, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तारीख से पहले या उसके पश्चात अवधारित किए जाते है, निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा।
- (4) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा।
- (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है, इलैक्ट्रोनिक जमा खाते या इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो रद्दकरण की ऐसी तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध—परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संबंध में इनपुट कर के प्रत्यय या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर के प्रत्यय के समतुल्य है:

परन्तु पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी की दशा में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर ऐसी रकम का, जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु, जो विहित किए जाएं, से घटाकर आए या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन संदेय रकम, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, से संगणित की

6 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।